


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर संशोधित-आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या -शिविरा/मा/संस्था/सी-2/सेवानिवृति/17 दिनांक 16.03.2017 द्वारा निम्नलिखित व्याख्याता के सेवानिवृति आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किये जाता है:-

क सं.	नाम	पदस्थापन स्थान	पूर्व आदेश में अंकित त्रुटि	संशोधन जो किया जाना है
1.	श्रीमती मधु कटारिया व्या0, इतिहास	राउमावि, भोलासर, बीकानेर	सेवानिवृति तिथि 31.08.2017	31.07.2017


शेष शर्तें मूल आदेश के अनुसार ही रहेगी।


 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृति/2016-17 दिनांक:-27/4/2017
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- (2) संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
- (3) सम्बन्धित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- (4) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- (5) सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र -6 प्राप्त कर अंतिम अर्द्ध प्रमाण पत्र जारी करें।
- (6) संबंधित प्राध्यापक।
- (7) रक्षित पत्रावली।

✓ (8) का.सं. 22-3131122


 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)